

बाद संख्या 95 / 2003-04

देवेन्द्रकुमार गुप्ता

बतार

जोगुठरकार

अधारा- 143 के अंतर्गत अधिनियम


मौजा- धरैरा तहसील एल्मादपुर

नामक आदेश दि 4/6/04

श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर०एम०गुप्ता निवासी 107/9, किशनगढ़, बसन्तकुंज, नईदिल्ली संस्थापक डायर आर०एम०गुप्ता टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी, एल्मादपुर जिला आगरा द्वारा प्राथमिक बनसुत कर मौजा धरैरा तहसील एल्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 620/4 रकबा 0.818 हे० 620/0.092, 620/1 रकबा 0.761 हे० कुल कितना 3 र. 11. 1571 हे० को अधिष्ठित भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थना के साथ प्रार्थना प्रतिक्रिया श्लोकी कर 141-141840 गाटा संख्या 114 व 467, 1418 हे० कितना खसरा कर 141140, आगप्रति सर्व प्रमाणपत्र, आगप्रति भूमि अधिग्रहण सम्बन्ध, प्रमाण, आगप्रति प्रथम सी.सी. भूमि अधिग्रहण के सुधार के सम्बन्ध में संलग्न किये हैं।

प्रार्थनापत्र की स्थलीय जाँच तहसीलदार, एल्मादपुर से करायी गयी। तहसीलदार, एल्मादपुर की स्थलीय जाँच आख्या मि० 2-6-2004 कारीनमशा, नमशा पैमाइशी सहित प्रारूप नियम-135 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है।

मेरे द्वारा तहसीलदार, एल्मादपुर की स्थलीय जाँच आख्या एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा धरैरा तहसील एल्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 114 गाटा सं० 620/1 रकबा 0.761 हे० मालखारी रसदी माहाना व गाटा संख्या 467 गाटा संख्या 620/4 रकबा 0.818 हे० मालखारी रसदी सालाना पर डायर आर०एम०गुप्ता टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी, एल्मादपुर द्वारा देवेन्द्रकुमार गुप्ता पुत्र रामनिवास गुप्ता संस्थापक, निवासी 107/9, किशनगढ़, बसन्तकुंज, नईदिल्ली के नाम बतार स्थायी भूमिपत्र कर है। उक्त भूमि आगरा-फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित है, जो डायर आर०एम०गुप्ता टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत स्थायीत काले से गयी हुई है। प्रथमतः भूमि का उपयोग काले से केम के लिए किया गया है। पत्रावली में तहसीलदार की जाँच आख्या से यह भी स्पष्ट है कि गाटा संख्या 620/4 राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ाकरण हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही में है एवं गाटा संख्या 620/1 के रकबा 0.761 हे० में से 0.157 हे० भूमि भी राजमार्ग के चौड़ाकरण हेतु अधिग्रहण की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र के साथ प्रमाणपत्र की आगप्रति एवं कारीनमशा, प्रमाण सम्बन्धी लेखन जिला तहसीलदार से गाटा सं० 620 की पैमाइशी में पाया है कि गाटा सं० 620/4 के रकबा 0.818 हे० में से 0.507 हे० भूमि व गाटा संख्या 620/1 के रकबा 0.761 हे० में से रकबा 0.472 हे० भूमि मीके पर फेज है। इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र में तहसीलदार, एल्मादपुर को बताया कि उक्त गाटा नंबरान में जो भूमि कम हो रही है, वह सहा चौड़ाकरण के अधिग्रहण में है इसलिए फेज भूमि जो बचती है, उसको धारा-143 के अंतर्गत आवासीय भूमि घोषित कर दी जाये तो उन्हें



लायी जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार ने तदनुसार भूमि को अकृषि भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है तथा प्रारूप निशान-135 के अंतर्गत आवक आख्या प्रस्तुत की है:-

नाम ग्राम	भूमिधरी का नाम	वर्गीकी प्राता संख्या	खतेका मा०गु०	गैरकृषि उपयोग में लाये जानेवाला भाग या क्षेत्रफल गाटा सं० क्षेत्रफल	विशेष टिप्पणी प्रयोग विधि लिखा जाता कोड भाग का नैना धारिता है।
धरैरा	डा. आर० एन० गुप्ता टेक्नीकल एक्सेक्यूटिव सोसाइटी, रस्ता, रस्ता एन० 107/9, सिडनम, बसन्तकृष्ण, नई दिल्ली	114	2-859 76-35	620/1 0.472	कोल्ल के क्षेत्र के मैदान के उपयोग में है।
धरैरा	-----	कमोक्त	467	0.910 18-00 620/4 0.507

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार, रस्तादपुर की स्थानीय जॉय आख्या दिनांक 2-6-2004 से संलग्न होकर प्राची की माला धरैरा तहसील रस्तादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 620/1 खता 0.472 हे० मालगुजारी 12-60 रुपये सालाना व गाटा संख्या 620/4 खता 0.507 हे० मालगुजारी 10-00 रुपये सालाना को धारा- 143 अविषयधिनियम के अंतर्गत अकृषि भूमि घोषित करते हुए भूदाजस्व मुक्त किया जाता है। तदनुसार प्रवधान जाती हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्ध, रस्तादपुर की निःशुल्क फीस हेतु भेजी जाये। पत्राकली बाद आवश्यक कार्रवाई बाकि रहस्य रहे।

दिनांक: जून 4, 2004

[Signature]
परगनाधिकारी, रस्तादपुर
[आगरा]



146
 21/6/04
 21/6/04
 21/6/04

वाद संख्या 26/2003-04

डा० आर. एन. गुप्ता टैक्नी. स्कु. सोसाइटी, आगरा

बनाम

उ०प्र०सरकार

अधारा- 143 ज०वि०धिनियम

मौजा- धरैरा तहसील-एल्मादपुर।

निकल आदेशा दि. 4/6/04

देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामनिवास गुप्ता निवासी जी-395, कमलानगर, आगरा संस्थापक डा० आर०एन०गुप्ता टैक्नीकल स्कुलेशन सोसाइटी, आगरा द्वारा प्रार्थनापत्र अधारा- 143 ज०वि०धिनियम प्रस्तुत कर मौजा धरैरा तहसील एल्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 619/० 680, 624/० 438, 625/० 138, 626/० 161, 627/० 300, 628मि/० 127, 629/० 692, 634/० 127, 675मि/० 138है कुल कित्ता 9 रकबा 2.098है० मालगुजारी 64-00रूपये सालाना को अकृषि भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थनापत्र के साथ प्रतिलिपि खतौनी बर्ष 1411-1416ख० खाता सं० 114, प्रतिलिपि खतौनी बर्ष 1405-1410ख० खाता संख्या 214 एवं प्रतिलिपि खर्रा बर्ष 1411ख० एवं डापथपत्र दाखिल किये गये।

प्रार्थनापत्र पर स्थलीय जॉच आख्या प्राल्प नियम-135 के अंतर्गत नजरिनदशा सहित तहसीलदार, एल्मादपुर से मँगी गयी। तहसीलदार की स्थलीय जॉच आख्या दि० 1-6-2004 नजरिनदशा सहित प्राल्प नियम-135 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई।

मेरे द्वारा तहसीलदार, एल्मादपुर की स्थलीय जॉच आख्या एवं फाकती पर उपाब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा धरैरा तहसील एल्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 619/० 680, 624/० 438, 625 रकबा ० 138, 626/० 161, 627/० 300, 628मि/० 127, 629मि/० 692 634/० 127 व 675मि/० 138है० कुल कित्ता 9 रकबा कुल 2.098है० मालगुजारी रसदी सालाना खतौनी बर्ष 1411-1416ख० के खाता सं० 114 पर डा० आर०एन०टैक्नीकल सोसाइटी, आगरा सं० 154, द्वारा संस्थापक डी०ए० गुप्ता पुत्र रामनिवासी निवासी 395, कमलानगर, आगरा के नाम खतौरी संलग्नाय भूमिधर वर्ज है। तहसीलदार की स्थलीय जॉच आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व दखल है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि आगरा-फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे ग्राम धरैरा में स्थित है। तहसीलदार ने यह भी अवगत कराया है कि गाटा सं० 624/० 438है० में से रकबा ० 104है० भूमि अधिग्रहण में है तथा गाटा संख्या 629मि/० 692है० में से ० 324है० व गाटा संख्या 675मि/० 138है० का सम्पूर्ण भाग धारा- 161ज०वि०धिनियम के अंतर्गत विनियम सम्बन्धी वाद में विवादित होने के कारण कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 675मि० में किराी भी प्रकार का कोई निष्ठा नहीं है तथा कालेज जो बाउण्ड्री के बाहर स्थित है। इस प्रकार जेच रकबा भूमि पर कालेज भवन, टेल का मैदान एवं कालेज के अन्य कार्यों में लागू हो रही है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य



ATTESTED
 Rajendra Kumar Gupta
 DISTRICT OFFICARY
 Gazetted Officer, Agra

FOUNDER CUM CHAIRMAN
 Dr. R. N. Gupta Technical Educational Society

में कोई फसल/कृषि वर्ज नहीं है। तहसीलदार ने आख्या में यह भी कहा है कि प्रार्थी डी०के० गुप्ता द्वारा भी तदनुसार भूमि को आवादी भूमि घोषित किये जाने में अपनी सहमति मौके पर दी गयी है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा तदनुसार भूमि को अकृषि भूमि घोषित करने की संस्तुति गठित प्राल्प नियम-143 के अंतर्गत निम्नवत् आख्या प्रस्तुत की है:-

नाम	ग्राम	भूमिधरी का नाम वैयक्तिक व सङ्गत	खतौनी खाता संख्या	घातेका मा०गु० कुल क्षेत्रफल है. मी.	गैरकृषिउपयोग मैलायेजानेवाला भाग या होत्रफल गाटासं० क्षेत्रफल	विश्लिष्टकृषि प्रयोग, जिससे जिखताया कोईभागकाम मैलायाजाता है	
धररा	डा०आर०एन०टैक्नीकल सोसाइटी आगरा पं०सं० 154 द्वारा स्थापक वै०के०गुप्ताद्वारा रामनिवास नि० 395, बमलानगर, आगरा	114	2-859	76-35	619 624 625 626 627 628मि 629 634	0-680 0-324 0-138 0-161 0-300 0-127 0-368 0-127	युग्मभूमि में कालेज का भवन, खेलकू मैदान आदि निर्मित है।
					8	2-235है	

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार, रत्नापुर की जॉच आख्या दिनांक 01-6-2004 से संकलित होकर प्रार्थी डा०आर०एन० टैक्नीकल सोसाइटी, आगरा की मौजा धररा तहसील रत्नापुर स्थित भूमि गाटा संख्या 619/0-680, 624/0-324, 625/0-138, 626/0-161, 627/0-300, 628मि/0-127, 629/0-368, 634/0-127है कुल किता 8 रकबा कुल 2-235है० मालगुमारी 59-70 रुपये सालाना को उ०प्र०व०वि०सर्व भूमि व्यवस्था अधिनियम, की धारा 143 के अंतर्गत अकृषि भूमि घोषित करते हुए भूराजस्व मुक्त किया जाता है। तदनुसार प्रक्यापन जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, रत्नापुर को नि:शुल्क फंजीशन हेतु भेजी जाये। फ्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व परतगी है।

दिनांक: जून 4, 2004

परतगी अधिकारी, रत्नापुर
आगरा

JUL 2021

ATTESTED

Rajendra Kumar Gupta
DISTT. NOTARY
Gazetted Officer, Agra

147
20-3-2004
18-
31-
7/6/04
21/6/04
26/6/04

FOUNDER CUM CHAIRMAN
Dr. R. N. Gupta Technical Educational Society